

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 786 / 15

संस्थापन दिनांक:-19 / 12 / 15

फाईलिंग नं. 233504001672015

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

कन्हई पिता धामू सिलूवार  
उम्र 54 वर्ष, निवासी नीमझिरी,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 20.01.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 30.10.2015 को समय शाम करीब 07:00 बजे, फरियादी के घर के सामने नीमझिरी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी मूरत को धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी का पिता अभियुक्त कन्हई शराब पीकर रोज गाली गुप्तार करता है। दिनांक 30.10.2015 को शाम को खा पीकर अभियुक्त ने गाली गुप्तार किया तो फरियादी ने उसे गाली बकने से मना किया तो अभियुक्त ने उसके हाथ में रखी कुल्हाड़ी के बेसे से उसे मारने दौड़ा और झूमा झटकी में कुल्हाड़ी उसके दाहिने पैर के घुटने के उपर लगी जिससे उसे खून निकला तथा कुल्हाड़ी का बेसा पीठ पर भी लगा। अभियुक्त ने उसे खूब मां बहन की नंगी नंगी मादरचोद बहनचोद की गालियां दी। अभियुक्त ने उसे काट कर हाथ पैर बराबर करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 581 / 15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक लोहे की कुल्हाड़ी मय बेसा के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324 भा0दं0सं0

का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 30.12.2015 को समय शाम करीब 07:00 बजे, फरियादी के घर के सामने नीमझिरी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी मूरत को धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

### **॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

6 मूरत (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना पिछले वर्ष की होकर शाम की 7 बजे की उसके घर की है। घटना के समय उसके पिता अभियुक्त शराब पीकर आये और उसे गालिया देने लगे। फरियादी द्वारा उसे गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे धक्का दे दिया जिससे वह गिर गया और उसके पैर पर दरवाजे में लगी हुई कील लग गयी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) थाने में की थी जिस पर पुलिस ने (प्रदर्श प्री-2) का मौका नक्शा तैयार किया था। साक्षी द्वारा अभियोजन का पूर्ण समर्थन न किये जाने के कारण अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि उसके पिता अभियुक्त ने उसे कुल्हाड़ी से मारा था जिससे उसे चोट आयी थी।

7 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ गाली गलौच कर धक्का मुक्की करना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्त को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा धारदार कुल्हाड़ी से आहत/फरियादी को चोट पहुंचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त द्वारा धारा 324 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी मूरत को धारदार कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त कन्हई को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की कुल्हाड़ी मय बेसा के अपील अवधि पश्चात तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

9 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

10 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)